न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 31/2020

जीसीएमएस नम्बर : 2020/00088

प्रार्थी:– छोगाराम पुत्र धनजी जाति बावरी निवासी ग्राम सुरायता तहसील सोजत जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. पुखाराम पुत्र चुन्नीलाल जाति सिरवी निवासी ग्राम सुरायता तहसील सोजत जिला पाली
2. सरपंच ग्राम पंचायत सुरायता तहसील सोजत जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–
1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 3.6.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत सुरायता द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 पुखाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 05.12.2017 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम सुरायता तहसील सोजत में प्रार्थी का पैतृक भूखण्ड आया हुआ है, जिसमें प्रार्थी एवं प्रार्थी का परिवार निवास करता है। जिसका क्षेत्रफल 80 बाई 80 यानि 6400 वर्गफीट है। उक्त भूखण्ड में से प्रार्थी ने अपने पुत्र वरदाराम को बंट करके 1567.6 वर्गफीट का हिस्सा दे रखा है, जिसका ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 145/2017 पट्टा संख्या 34 दिनांक 29.06.2017 बना रखा है। अप्रार्थी संख्या 1 जैर निगरानी पट्टे की आड में प्रार्थी को जैर निगरानी भुखण्ड पर बने आवास को खाली करने की धमकी दे रहा है एवं खाली नही करने की दशा में जैर निगरानी पट्टे की आड में पुलिस कार्यवाही करने की धमकी दे रहा है। अप्रार्थीगण ने बाले बाले से प्रार्थी के सम्पूर्ण भूखण्ड का दिनांक 05.12.2017 को बिना मिसल कायम किये अप्रार्थी संख्या 1 को जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जबकि उक्त जगह पर अप्रार्थी संख्या 1 का न तो कोई कब्जा है और न ही कोई मकानात् बल्कि उक्त जमीन पर प्रार्थी का मकान बना हुआ है तथा प्रार्थी के पुत्र वरदाराम के मकान का पट्टा भी जारी हो रखा है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत नियमों के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किये गये जैर निगरानी पट्टे को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने वक्त बहस कथन किया है कि जैर निगरानी आराजी के संबध में प्रार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार का पट्टा जारी नही किया

अति. जिला कलेक्टर, पाली

गया है। अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा पंचायती राज नियमों के तहत जारी किया गया है जो विधिनुसार जारी किया गया है। अप्रार्थी मौके पर काबिज है। ग्राम पंचायत के रेकर्ड में मिसल नही मिलने से जैर निगरानी पट्टे को खारिज करने का कोई आधार नही है। जैर निगरानी आराजी पर पट्टाधारक काबिज है जिसके आधार पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टे की आराजी पर कब्जा करने एवं परेशान करने की नियत से प्रकरण श्रीमान के न्यायालय में पेश किया गया है, जबकि उक्त आराजी के संबध में प्रार्थी के पास कोई दस्तावेज नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जैर निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत सुरायता द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 पुखाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 05.12.2017 के विरूद्ध पेश की है। जैर निगरानी के संबध में ग्राम पंचायत से रेकर्ड तलब करने पर मिसल एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर नही होने एवं मात्र पट्टा बुक होने से जैर निगरानी आराजी के मूल पट्टे का अवलोकन करने पर पाया कि जैर निगरानी पट्टे पर ग्राम सेवक की केवल मोहर लगी हुई है हस्ताक्षर नहीं किये हुए है। जैर निगरानी पट्टे के प्रथम पृष्ठ पर सरपंच के हस्ताक्षर व मोहर लगी हुई है लेकिन पट्टे के द्वितीय पृष्ठ पर केवल मोहर लगी हुई है। पट्टे पर न तो आवंटी के हस्ताक्षर है और न ही गवाहों के नाम अंकित है, न ही गवाहों के हस्ताक्षर है। इससे यह स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी रूप में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की पालना नही की गई है।

जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल पट्टा बुक 09 वर्ष 2017–18 जिसमें पट्टा सख्या 1 से 50 जारी किये गय है का अवलोकन करने पर पाया कि किसी भी पट्टे पर एक साथ ग्राम सेवक, सरपंच, आवंटी के हस्ताक्षर तथा गवाहों के नाम अंकित नहीं है। पट्टा संख्या 2, 4, 5 दिनांक 29.06.2017 को जारी किये गये है एवं पट्टा संख्या 6 दिनांक 20.06.2017, पट्टा संख्या 7 दिनांक 29.06.2017 तथा पट्टा संख्या 8, 9, 10 दिनांक 20.06.2017 को जारी किया गया है। जब पूववर्ती पट्टा दिनांक 29.06.2017 को जारी हो रखा हो तो उसके पश्चातवर्ती पट्टा दिनांक 20.06.2017 को कैसे जारी हो सकता है ? साथ ही सम्पूर्ण पट्टा बुक में केवल पट्टा संख्या 14, 15, 16, 37 पर ही ग्राम सेवक व सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर है उसमें भी आवंटी के हस्ताक्षर व गवाहों के नाम अंकित नहीं है। पट्टा संख्या 22, 25, 34 में मूल पट्टे पर तो ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नहीं है परन्तु कार्बन कॉपी पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर है एवं इन पट्टो में अंकित दिनांक पर वाईटनर लगाकर संशोधन किया हुआ है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा बुक संख्या 09 में सम्पूर्ण पट्टे विधिविरूद्ध तरीके से जारी किये है। ग्राम पंचायत ने नियमो से परे जाकर राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम में विहित प्रावधानों व प्रकिया की अनदेखी व अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 पुखाराम के नाम नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है, जिसे यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है।

ग्राम पंचायत की पट्टा बुक संख्या 09 में पट्टे दिनांक 29.06.2017 को जारी किये हुए है तथा इसी पट्टा बुक में पट्टा संख्या 50 दिनांक 05.12.2017 को जारी हो

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

रखा है। पत्रावली के संलग्न ग्राम पंचायत सुरायता द्वारा पट्टा बुक संख्या 38 में जारी अन्य पट्टा संख्या 35 भी दिनांक 29.06.2017 को जारी किया हुआ है। यदि पट्टा बुक संख्या 09 में पट्टा संख्या 50 दिनांक 05.12.2017 को जारी हो रखा है तो पट्टा बुक संख्या 38 में पट्टा दिनांक 29.06.2017 में कैसे जारी हो सकता है ? जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टाधारक को अनुचित लाभ पहुचाने की नियत से पंचायतीराज नियमों के विरूद्ध जाकर पट्टे जारी किये हुए है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह पंचायत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सुरायता द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 पुखाराम पुत्र चुन्नीलाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्य 48 दिनांक 05.12.2017 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल पट्टा बुक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् पाली एवं विकास अधिकारी सोजत को निर्णय की प्रति इन निर्देशों के साथ भेजी जाती है कि वे जैर निगरानी पट्टे से संबंधित ग्राम पंचायत सुरायता पंचायत समिति सोजत की पट्टा बुक संख्या 09 में जारी पट्टो की जांच कर विधिनुकुल कार्यवाही करे। निर्णय की सत्यप्रति सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 3/6/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)